

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00177
न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिगा आर०ए०एस०
निगरानी प्रकरण सं० 39/2020

1. लाधूराम पुत्र श्री पतराम जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 12 लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. आशा शर्मा पत्नी श्री मकखन लाल जाति ब्रह्मण निवासी वार्ड नम्बर 02 लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज०)।
2. सरपंच ग्राम पंचायत लालगढजाटान तहसील सादुलशहर

गैरनिगरानीकर्ता

आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 21 दिनांक 08.01. 2018 को गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 को आवंटन किया गया को निरस्त करने हेतु।


उपस्थित :

1. श्री विजय रेवाड़ अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री चरणदास कम्बोज अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1

:: आदेश ::

दिनांक :- 29.08.2022

हरस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता अनुरोधित जाति का आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है तथा जन्म से ही लालगढजाटान में निवास कर रहा है। जिला श्रीगंगानगर के ग्राम पंचायत लालगढजाटान के वार्ड नम्बर 02 में राज्य सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के लोगो के लिए प्लॉट आवंटन हेतु अपने आदेश क्रमांक एफ4/एच.सं. /74/14005-46 दिनांक 05.12.1974 से 150 वर्गगज क्षेत्रफल के कई आवास आरक्षित किये गये थे। इस अभियान के तहत तहसीलदार को जिलाधीश द्वारा अधिकृत किये जाने पर ग्राम पंचायत लालगढजाटान में श्रीगंगानगर से हनुमानगढ सड़क के साथ-साथ कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क प्लॉट आवंटित कर पट्टे जारी किये थे जिसमें निगरानीकर्ता को प्लॉट संख्या 22 व निगरानीकर्ता के पिता पतराम पुत्र श्री चौलाराम को प्लॉट संख्या 21 आवंटित करके पट्टे दिये गये थे, आवंटन आवेदन पत्र खसरा रजिस्टर व ग्राम पंचायत द्वारा बनायी गयी आवंटन सूची की फोटो प्रति सलंगन निगरानी है। निगरानीकर्ता व निगरानीकर्ता के पिता समाज के कमजोर तबके से थे इसलिए निःशुल्क आवंटन किया गया था और आवंटियों को कब्जा दिलाया गया था। इस प्रकार से यह आरक्षित भूमि को हनुमानगढ श्रीगंगानगर सड़क के पास थी व कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के लोगो को भूमि आवंटन करने में ग्राम पंचायत लालगढजाटान मात्र न्यास थी। गैरनिगरानीकर्ता आशा शर्मा का पति मकखन लाल पुत्र श्री मिश्री लाल जाति ब्रह्मण निवासी वार्ड नम्बर 02 लालगढजाटान भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात थे और गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के अपने पति मकखन लाल को लालगढ छावनी में सरकारी मकान अलॉट हुआ था और गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 अपने पति मकखन लाल के साथ आवंटित क्वार्टर में ही निवास करती थी। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व उसके पति ने कभी भी वादग्रस्त अहाता में निवास नहीं किया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या


अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर




2 से साजिश कर इस आरक्षित भूमि पर जो कि वर्तमान में व्यवसायिक जगह का रूप ले चुकी है व इसके आस-पास पूरा बाजार विकसित हो चुका है, पर कब्जा करने की नियत से 2 प्लॉटों साईज 100X120 फुट पर गैरनिगरानीकर्ता आशा शर्मा व उसके पति मकखन लाल ने निगरानीकर्ता व निगरानीकर्ता के पिता पतराम को आवंटित भूखण्ड की जगह शामिल कर इस आरक्षित स्थान पर कब्जे कर लिये व इस कब्जे की बाबत गलत फर्जी हलफनामा वा अन्य दस्तावेज तैयार करके असल के रूप में प्रयोग करते हुए वास्तविक तथ्यों को बेईमानी से छिपाते हुए ग्राम पंचायत लालगढ जाटान के वर्तमान सरपंच से राज-बाज करके इस कब्जे को नियमित करने हेतु आवेदन किया व इस आवेदन में रघुवीर पुत्र देवीलाल जाति छिम्पा निवासी संगरिया, भादर राम पुत्र कालूराम व राकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल अकवाम जाति जाट निवासी लालगढजान ने भी गलत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तैयार करके गैरनिगरानीकर्ता आशा शर्मा व मकखन लाल के दिनांक 08.01.2018 को नाजायज रूप से पट्टा जारी कर दिया जिसमें पंचायत के कर्मचारियों व पंच सरपंच ने मिथ्या रिपोर्ट, मिथ्या रिकॉर्ड बनाकर गैरनिगरानीकर्ता आशा शर्मा व उसके पति मकखन लाल की सहायता की। निगरानीकर्ता के पिता पतराम का देहान्त हो चुका है और पतराम का देहान्त होने से निगरानीकर्ता के पिता को आवंटित अहाता पतराम के वारिसान निगरानीकर्ता को प्राप्त हुआ है और निगरानीकर्ता स्वयं अपने अहाता व अपने पिता को आवंटित अहाता की निगरानी करने में राक्षम है और यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए जब उक्त प्रकार के नाजायज पट्टे की फर्जी कार्यवाही की जा रही थी, तो निगरानीकर्ता के पति मकखन लाल व बृजलाल पुत्र हरीराम ने सरपंच ग्राम पंचायत लालगढजाटान, पंचायत समिति सादुलशहर व जिला परिषद श्रीगंगानगर को लिखित में प्रार्थना पत्र दिये थे, लेकिन जिला परिषद ने इन प्रार्थना पत्रों पर कोई गौर नहीं किया है। गैरनिगरानीकर्ता आशा शर्मा व उसके पति मकखन लाल यह जानते थे कि उक्त अचल सम्पत्ति अनुसूचित जाति व जनजाति तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित है। उक्त जमीन के किसी भी हिस्से का आवंटन/नियमन/अंतरण ग्राम पंचायत कमजोर वर्ग के सदस्यों/परिवारों के अलावा कर ही नहीं सकती थी, फिर भी गरीबों के हक व हिस्से की जगह एक ही परिवार के दो सदस्यों (दम्पति) को बेईमानी से वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए दो अलग-अलग पट्टे जारी कर दिये जबकि उक्त जगह में दो प्लॉट गैरनिगरानीकर्ता व उसके पिता पतराम के नाम अलॉट करके रिकॉर्ड पर दिनांक 22.12.1975 को भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध न होने से पूर्व आवंटन के कायम रहते निगरानीधीन आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व उसके पति मकखन लाल संयुक्त परिवार में रहते हैं व दोनों को अलग-अलग भूखण्ड आवंटन नहीं किये जा सकते हैं ऐसी सूरत में आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। गैरनिगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत लालगढजाटान के सरकारी अभिलेख में मिथ्या परिविष्टियां अंकित करवाई हैं। गैरनिगरानीकर्ता ने सदोष लाभ लिया है। इस तथ्य का जब पता चला तो पूर्व में अलॉटी गैरनिगरानीकर्ता के एतराज करने पर लालगढजाटान में पंचायत बुलायी जिसमें गैरनिगरानीकर्ता के अलावा बृजलाल पुत्र हरीराम जाति जाट वार्ड नम्बर 2 लालगढ, मदनलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 2 लालगढजाटान एवं वार्ड पंच व अन्य पंच जिनमें सत्यनारायण पुत्र रजीराम वर्मा व मनफूल पुत्र बीरबलराम नायक निवासी लालगढ थे। हम सभी इकट्ठे होकर गैर निगरानीकर्ता मकखन लाल, आशा शर्मा के पास गये व उन्हें समझाया की इस प्रकार से जो आपने पट्टे निगरानीकर्ता व निगरानीकर्ता के पिता पतराम के नाम जारी पट्टों पर अपने नाम के नाजायज पट्टे बनाकर हमें भारी नुकसान पहुंचाया है इन बाबत जो रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियां की हैं एवं झूठे हलफनामों ले करके जो गलत कार्यवाही की है उससे निगरानीकर्ता व

मकखन लाल (प्रशासन)
नगर

पतराम को भारी नुकसान हुआ है व राज्य सरकार को भी आर्थिक नुकसान हुआ है। सरपंच कायदे से इस जगह को दुबारा आवंटन/ नियमन व अंतरण नहीं कर सकता तो दोनो मुलजिमान बोले हमने तो करना था सो कर दिया अब जो मर्जी होवे कर लो। निगरानीधीन भूमि आरक्षित भूमि थी। निगरानीधीन भूमि का पट्टा बनाने व प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया गया होने से पट्टा खारिज होने योग्य है। निगरानीधीन आदेश व पट्टा दिनांक 08.01.2018 संकल्प संख्या 07, पट्टा संख्या 21 साईज 54X56 फुट का एकल पट्टा जारी किया गया है ग्राम पंचायत को निगरानीधीन क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध, क्षेत्राधिकार से बाहर, नियमों के विपरित पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। निगरानीधीन प्रस्ताव व पट्टा ग्राम पंचायत से साजिश कर, आरक्षित भूमि का बिना कब्जा के व पंचायत राज अधिनियम की अनदेखी कर पति पत्नी दोनो संयुक्त परिवार में रहते हुए अलग-अलग पट्टा जारी किया गया है, जो हर सूरत में निरस्त होने योग्य है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के पति मखन लाल को आवंटित किया गये पट्टे को अलग से चुनौती दी जा रही है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 से तथ्य छुपाकर साजिश कर निगरानीधीन प्रस्ताव पारित करवाकर पट्टा बना लिया है। निगरानीकर्ता ने इस विधि विरुद्ध व पट्टा को गैरनिगरानीकर्ता से निरस्त करने का कई बार कहा परन्तु गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ने माननीय न्यायालय का आदेश होने पर ही निरस्त किया जा सकता है का कहा, यही वाद कारण है। पंचायत समिति सादुलशहर व जिला परिषद श्रीगंगानगर में गैरनिगरानीकर्ता का प्रभाव व बोल-बाला है इसलिए पंचायत समिति व जिला परिषद से निगरानीकर्ता को इसाफ की उम्मीद नहीं है और निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अतः निगरानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी निगरानीकर्ता रबीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में पारित प्रस्ताव व पट्टा दिनांक 08.01.2018 संकल्प संख्या 7 पट्टा संख्या 21 साईज 54X56 फुट को निरस्त फरमाया जावे।


निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता अनुसूचित जाति का आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है तथा जन्म से ही लालगढजाटान में निवास कर रहा है। जिला श्रीगंगानगर के ग्राम पंचायत लालगढजाटान के वार्ड नम्बर 02 में राज्य सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्लॉट आवंटन हेतु अपने आदेश क्रमांक एफ 4/एच. सं./74/14005-46 दिनांक 05.12.1974 से 150 वर्गगज क्षेत्रफल के कई आवास आरक्षित किये गये थे। ग्राम पंचायत लालगढजाटान में श्रीगंगानगर से हनुमानगढ सड़क के साथ-साथ कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क प्लॉट आवंटित कर पट्टे जारी किये थे जिसमें निगरानीकर्ता को प्लॉट संख्या 22 व निगरानीकर्ता के पिता पतराम पुत्र श्री चौलाराम को प्लॉट संख्या 21 आवंटित करके पट्टे दिये गये थे। आरक्षित भूमि हनुमानगढ श्रीगंगानगर सड़क के पास थी व कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित थी। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 से साजिश कर इस आरक्षित भूमि पर जो कि वर्तमान में व्यवसायिक जगह का रूप ले चुकी है व इसके आस-पास पूरा बाजार विकसित हो चुका है, पर कब्जा करने की नियत से 2 प्लॉटो पर 100X120 फुट पर गैरनिगरानीकर्ता मखन लाल व उसकी पत्नी आशा शर्मा ने निगरानीकर्ता व उसके पिता पतराम को आवंटित भूखण्ड की जगह शामिल


जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कर आरक्षित स्थान पर कब्जा कर लिया व इस कब्जे की वास्तव गलत फर्जी हलफनामा वा अन्य दस्तावेज तैयार करके असल के रूप में प्रयोग करते हुए वास्तविक तथ्यों को बेईमानी से छिपाते हुए ग्राम पंचायत लालगढ जाटान के वर्तमान सरपंच से मिलिभगत कर कब्जे को नियमित करने हेतु आवेदन किया व इस आवेदन में रघुवीर पुत्र देवीलाल जाति छिम्पा निवासी रांगरिया, भादर राम पुत्र कालूराम व राकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल अकवाम जाति जाट निवासी लालगढजान ने भी गलत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तैयार करके गैरनिगरानीकर्ता मकखन लाल व आशा शर्मा के दिनांक 08.01.2018 को नाजायज रूप से पट्टा जारी कर दिया जिसमें पंचायत के कर्मचारियों व पंच सरपंच ने मिथ्या रिपोर्ट, मिथ्या रिकॉर्ड बनाकर गैरनिगरानीकर्ता मकखन लाल व आशा शर्मा की सहायता की है। गैरनिगरानीकर्ता मकखन लाल व आशा शर्मा यह जानते थे कि उक्त अचल सम्पति अनुसूचित जाति व जनजाति तथा कमजोर वर्ग के लोगो के लिए आरक्षित है। उक्त जमीन के किसी भी हिस्से का आवंटन/नियमन/अंतरण ग्राम पंचायत कमजोर वर्ग के सदस्यों/परिवारों के अलावा कर ही नहीं सकती थी, फिर भी गरीबो के हक व हिस्से की जगह एक ही परिवार के दो सदस्यों (दम्पति) को बेईमानी से वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए दो अलग-अलग पट्टे जारी करवा लिये। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व उसके पत्नी आशा शर्मा संयुक्त परिवार में रहते हैं व दोनों को अलग-अलग भूखण्ड आवंटन नहीं करवा सकते। सरपंच विवादित जगह का दोहरा आवंटन/नियमन व अंतरण नहीं कर सकता। निगरानीधीन भूमि आरक्षित भूमि थी। निगरानीधीन भूमि का पट्टा बनाने व प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। निगरानीधीन आदेश व पट्टा दिनांक 08.01.2018 संकल्प संख्या 07, पट्टा संख्या 21 साईज 54X56 फुट का एकल पट्टा जारी किया गया है ग्राम पंचायत को निगरानीधीन क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में पारित प्रस्ताव व पट्टा दिनांक 08.01.2018 संकल्प संख्या 7 पट्टा संख्या 21 साईज 54X56 फुट को निरस्त फरमाया जावे।

1. यह कि दिनांक 14.04.2017 से राजस्थान सरकार द्वारा लम्बे समय से अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि:-
पात्रहीन व्यक्तियों को आबादी भूमि के पट्टे देने के लिए विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान में पुराने घरों को विनियमित कर नियम 157 व 158 के तहत पट्टे जारी करने के लिए सरकार द्वारा निर्देश दिये गये थे। इस अभियान में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने भी अपने पुराने मकान जहां हम 35-36 साल से निर्विघन, लगातार शान्ति से निवास कर रहे थे, उस मकान का पट्टा बनवाने के लिए ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र दिया था। पंचायत द्वारा नियमों के अनुसार हर पहलु की पूरी जांच करने के पश्चात् दिनांक 04.07.2017 को पट्टा आवंटन के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने की विज्ञप्ति दैनिक भास्कर में प्रकाशित की गई व गांव में महत्वपूर्ण स्थानों पर व पंचायत घर पर चरपा की गई थी। नियमानुसार आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था। आपत्ति ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करनी थी। पंचायत ने स्पष्ट लिखा था कि समय सीमा (मियाद) पश्चात् किसी की आपत्ति पर गौर नहीं किया जायेगा। 7 दिन की मियाद अवधि में ग्राम पंचायत को गैर निगरानीकर्ता के प्लॉटों के विरुद्ध किसी की भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के बाद दिनांक 08.01.2018 को पट्टे जारी कर दिये गये।
2. यह कि निगरानीकर्ता ने लिखा है कि उसके पिता पतराम को और उसे ग्राम पंचायत द्वारा दो प्लॉट 1975 में निःशुल्क आवंटित किये गये थे।



(प्रशासन)
जिला कलेक्टर (प्रशासन)
जयपुर

निगरानीकर्ता के पिता पतराम नायक ने अपना प्लॉट दिनांक 23.09.1988 को 8,000/- रुपये में बेचान का ईकरारनामा गैरनिगरानीकर्ता के पुत्र कमल भारद्वाज के नाम लिखवाया व 07.08.1990 को तहसील सादुलशहर में बेचान की रजिस्ट्री करवा दी थी। पतराम ने अपने प्लॉट की सीमायें दर्शाते हुए ईकरारनामों में लिखवाया है कि उसके प्लॉट की पूर्व दिशा वाला प्लॉट श्रीमति आशा शर्मा का है। यदि वह प्लॉट निगरानीकर्ता को आवंटित किया गया होता तो क्या उसके पिता को इसकी जानकारी नहीं होती ? इकरारनामा की छाया प्रति सलग्न है।

3. यह कि नियम 1975 के नियम 3 में निःशुल्क रिहायशी पट्टा चाहने वालों की 6 श्रेणी दी गई है जिनमें दलित भी शामिल है, लेकिन निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने वाले प्रार्थियों के लिए योग्य पात्र होने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं। सबसे पहले तो प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त निःशुल्क पट्टा चाहने वाले प्रार्थी के स्वयं के नाम व उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम राजस्थान की किसी भी आबादी में ना तो रिहायश के लिए मकान होना चाहिए ना ही कहीं पट्टा होना चाहिए तथा ना ही राजस्थान में कहीं भी कृषि की जमीन होनी चाहिए। प्रार्थी को अपने प्रार्थना पत्र में यह सब घोषणायें शपथ पूर्वक करनी अनिवार्य है वरना वा निःशुल्क पट्टा आवंटन के लिए योग्य पात्र नहीं होगा। निगरानीकर्ता ने ये घोषणाएं नहीं की।
4. यह कि एस.बी.सिविल रिट पेटिशन नम्बर 9836/2013 देवेन्द्र कौर बनाम राजस्थान सरकार दिनांक 16.10.2014 तथा कमलजीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार एस.बी.सिविल रिट पेटिशन नम्बर 2611/2014 दोनों में ही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करवाने वाले प्रार्थी पर योग्य पात्र होने की शर्तें लागू होती हैं। इस निर्णय में यह भी निर्धारित किया गया है कि एक व्यक्ति/परिवार को निःशुल्क आवंटन में 150 वर्गगज से ज्यादा का प्लॉट आवंटित नहीं किया जा सकता। निगरानीकर्ता के पिता पतराम को एक प्लॉट 150 वर्गगज का आवंटित किया गया था।
निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र में यह घोषणायें नहीं की गई हैं। यह घोषणा तो कि गई है कि निगरानीकर्ता जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर है, अगर कृषि की जमीन नहीं है तो कृषि पर कैसे निर्भर हो सकता है। मजदूरी पर तो हो सकता है, 5 साल का अव्यस्क बालक क्या मजदूरी करेगा ? यह प्रार्थना पत्र की कूटरचित छाया प्रति है।
6. यह कि निगरानीकर्ता को यदि गैर निगरानीकर्ताओं को पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन बाबत कोई आपत्ति थी तो पंचायत के प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध आदेश से 30 दिन के भीतर-भीतर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 61 के तहत सम्बन्धित पंचायत समिति को अपील कर सकता था। कलैक्टर के द्वारा पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता (1972 आर.एलत्रडब्ल्यू.516) 8 महीने 21 दिन का समय/मियाद बीत जाने के बाद निगरानी करने का किसी नियम में प्रावधान/इजाजत नहीं है। पुनरीक्षण हेतु कलैक्टर को प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सकता। (1975 आर.एलत्रडब्ल्यू.134) यह निगरानी नियमों के विरुद्ध है।
7. यह कि ढालाराम बनाम श्री प्रतापराम (2009) 4 सीडीआर 2281 राजस्थान के मामले में भी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा यह अग्निनिर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक निर्धारित सीमा से अधिक भूमि को



(Handwritten Signature)
जिला कलेक्टर (प्रशासन)
जोधपुर



निशुल्क आवंटित नहीं किया जा सकता है। इस मामले में प्रार्थी को 150 वर्गगज से अधिक भूमि निःशुल्क आवंटित कर दी गई थी, कलेक्टर द्वारा आवंटन को निरस्त किया जाने को राजस्थान उच्च न्यायलय ने उचित ठहराया। एक ही परिवार के दो सदस्यों को निःशुल्क 150 वर्गगज के 2 प्लॉट देना नियम विरुद्ध है।

8. निगरानीकर्ता के परिवार के पारा लालगढजाटान की आवादी में रिहायश के लिए बड़ा मकान था, अब भी है जहां विजली पानी की सभी सुविधाये उपलब्ध है। निगरानीकर्ता की माता जी, जो लालगढ की बेटी भी थी के नाम 13 बीघा कृषि भूमि की नहरी जमीन थी। जमीन की जगावदी/खेवट खतौनी की प्रतिलिपि सलंग्न है। निगरानीकर्ता निःशुल्क पट्टा आवंटन के लिए योग्य पात्र नहीं था तथा ना ही इस प्लॉट आवंटित किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा सलंग्न किये कूटरचित दरतावेज मदनलाल द्वारा पड़यंत्र करके रची गई साजिश के दरतावेज है। निगरानीकर्ता ने मूल पट्टा निगरानी के साथ सलंग्न नहीं किया।
9. यह कि निगरानीकर्ता ने लिखा है कि उसको निःशुल्क प्लॉट का आवंटन 1975 में हुआ था। 1975 में यह 6 साल का नादान बच्चा था, क्या 6 साल के बच्चे को प्लॉट लेने की या जायदाद बनाने की सुध होती है ? 38-39 साल तक उस प्लॉट का मालीकाना हक प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयास क्यों नहीं किया ? निगरानीकर्ता की माताजी रातेश्वरी गांव में राजदाई का काम करती थी ? दलित महिला के लिए आरक्षित सीट पर 1995-2000 तक ग्राम पंचायत की वार्ड व 2000-2005 तक पंचायत समिति सादुलशहर की डायरेक्टर रही थी। वो पंचायत के सभी नियम जानती थी, ऐसे जागरूक परिवार के प्लॉट पर कोई जबरदस्ती कब्जा कैसे कर सकता है ? रामेश्वरी का गैरनिगरानीकर्ता के घर अक्सर आना जाना रहता था। क्या वो मां अपने बेटे को उसके प्लॉट के बारे में नहीं बताती ? गैर निगरानीकर्ता का परिवार इस मकान में 38-39 सालों से लगातार निर्विधन, निरविरोध निवास कर रहा है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 श्रीमती आशा शर्मा पत्नी ले. कर्नल मकखनलाल शर्मा को आवंटित पट्टा नम्बर 18 वाला प्लॉट तो निगरानीकर्ता द्वारा अपना बताये गये प्लॉट की वाउन्ड्री लाईन से 15-20 फुट दक्षिण दिशा में दूर है, उनके विरुद्ध किस आधार पर निगरानी की गई है ? निगरानीकर्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्ता ने दो प्लॉट 100X120 फुट के लिखे थे। 100X120 फुट कुल 12000 वर्गफुट, 1333 वर्गगज होता है जिसमें गैरनिगरानीकर्ता के मकानों के अलावा 3-4 और मकान उसकी परिधि में आ जाते हैं, उन पर भी निगरानी कर देनी चाहिए थी।
10. निगरानीकर्ता ने बतौर सबूत स्वयं का व अपने पिता का निःशुल्क प्लॉट के लिए प्रार्थना पत्र आवंटन पत्र की कूटरचित छाया प्रतियां पेश की है। इस प्रार्थना पत्र के पैरा/सिरियल नम्बर 6 अनुसूचित जाति/जनजाति का स्थान खाली है, सिरियल नम्बर 7 में कुछ नहीं लिखा की क्या व्यवसाय है। सिरियल नम्बर 8 में परिवार के कुल 8 सदस्यों की संख्या तो लिखी है, जिसमें व्यस्क सदस्य 2 व अव्यस्क सदस्यों का स्थान खाली है। निगरानीकर्ता क्या इस परिवार का सदस्य था या नहीं ? दोनों प्रार्थना पत्रों में रिहायशी मकान व कृषि भूमि का सच छुपाया गया है। प्रार्थना पत्र किस दिन दिया गया कोई तारीख नहीं है। पिता पुत्र दोनों का एक ही दिनांक 12.12.1974 को दो पट्टा आवंटन/सुपुर्दगी दिखवाया गया है जो नियम विरुद्ध



कलेक्टर (प्रशासन)



है। प्रार्थना पत्रों पर 5 वर्ष के निगरानीकर्ता का अंगूठा उसके पिता के अंगूठे के निशान से बड़ा है। सबफर्जी बाड़ा किया गया है। पट्टे पर नियम 158(3) के अनुसार "विक्रय के लिए नहीं" की बड़े अक्षरों में मोहर नहीं लगी है जो जरूरी थी। "

11. यह कि झूठे केस को जबरन फौजदारी का रूप देने के लिए निगरानीकर्ता द्वारा इसी आधार पर पुलिस थाना लालगढजाटान में 14.01.2019 को एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी। पुलिस अधिकारी ने जांच के बाद सभी आरोपों को झूठा व निराधार पाया। जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि मदनलाल पुत्र सहीराम की ले.कर्मल मकखन लाल शर्मा के साथ व्यक्तिगत रंजीश व द्वेषता के कारण सुनियोजित षडयंत्र के तहत मदनलाल के उकसाने पर लाधुराम द्वारा झूठी एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। जांच अधिकारी द्वारा एफ.आई.आर. पर एफ.आर. लगा कर ए.सी.जे.एम. न्यायालय में दिनांक 06.07.2020 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। एफ.आई.आर. की जांच रिपोर्ट की सत्याप्रति रालंग्न है। यदि निगरानीकर्ता पुलिस की जांच से सन्तुष्ट नहीं था तो न्यायालय में सबूत पेश क्यों नहीं किये। विचाराधीन निगरानी में बतौर सबूत पेश किये गये। निगरानीकर्ताओं की रजिस्ट्रीयों की नकल तहसील लालगढजाटान से मदन लाल ने लाकर दी है, निगरानीकर्ता नहीं लाया है, इससे स्पष्ट साबित है कि निगरानीकर्ता तो मुखौटा है मदनलाल पुत्र सहीराम भूमाफिया व अपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है। मदनलाल के विरुद्ध न्यायालयों में आई.पी.सी. की संगीन धाराओं में केस दर्ज है।

12. यह कि सम्भागीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील आनन्द चौधरी, टी.एन.एन. बनाम भारत सरकार के केस में दिनांक 08.08.2019 को निर्णय दिया है यदि स्थाई सम्पत्ति का मालिका 12 साल की लिमिटेशन अवधि में अपनी स्थाई सम्पत्ति का मालिकाना हक/कब्जा लेने के लिए कानूनी कार्यवाही नहीं करता है तो उसका मालिकाना हक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और कब्जाधारी को उसका स्वामित्व का हक मिल जाता है। ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 1185 नायर सरविसिज सोरायटी लिमिटेड बनाम के.सी.अलगजेन्डर में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही निर्णय दिया है। लिमिटेशन एक्ट 27(1963) व आटीकल 64,65 में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है। 12 साल का समय उस दिन से शुरू होता है जिस दिन स्थाई जायदाद पर कब्जाधारी कब्जा करता है। गैरनिगरानीकर्ताओं द्वारा 1983 में जिस मिस्ट्री ने मकान की चिनाई की थी उसका बयान 1983 से, बिजली विभाग का कनेक्शन व इसका अब तक लगातार रहने का पत्र, निवारा प्रमाण पत्र, निगरानीकर्ता के पिता द्वारा किया गया ईकरारनामा व रजिस्ट्री की फोटो प्रतिया, 38 साल से निरविर्धन लगातार शान्ति पूर्वक निवास करने का पत्र 38-39 साल का कब्जा साबित करने के लिए सलंग्न किये गये हैं।

13. यह कि गोविन्द कान्त पुत्र होत प्रकाश बनाम ग्राम पंचायत लालगढजाटान प्रकरण संख्या 32/2014 की निगरानी माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा गियाद बाहर होने एवं मैरिट पर भी निगरानी के पर्याप्त आधार साबित न होने के कारण निगरानी खारिज कर दी गई। 38 वर्ष के विलम्ब के बाद यह निगरानी की गई है जो वैसे भी नियम विरुद्ध है। पत्रावली में ऐसा कोई सारवान साक्ष्य नहीं है जिससे साबित हो कि 1975 के नियम 3 के अनुसार निगरानीकर्ता को पट्टा या प्लॉट आवंटित किया गया था। निगरानीकर्ता नियमों के तहत पट्टा आवंटन करने के लिए योग्य पात्र



जिला कलेक्टर (प्रशासन)
जयपुर



नहीं था। पट्टा की मूल प्रति पेश नहीं की गयी। मिथ्या व कूट रचित दस्तावेजों का असल के रूप में प्रयोग करने का असफल प्रयास किया गया है। नियमानुसार यह निगरानी खारिज करने योग्य है।

14. गैर निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत लालगढजाटान द्वारा आवंटन सम्बन्धित सम्पूर्ण मूल रिकॉर्ड कार्यालय जिला परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) को दिनांक 19.06.2022 को भिजवा दिया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ताओं को प्लॉटों का पट्टा देने में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान में जारी महत्वपूर्ण पत्रों/ दिशा-निर्देशों का विधिवत पालन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटित किये गये हैं। आपत्तियां आमंत्रण हेतु नोटिस अवधि 30 दिन के स्थान पर 7 दिवस पत्र क्रमांक 289/12.04.2017 नियम 148 में संशोधन की अधिसूचना जारी की थी। निगरानीकर्ता की कोई आपत्ति इस अवधि में पंचायत को प्राप्त नहीं हुई। यह दोनों निगरानीयां सारहीन व अपोषणीय हैं। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वहस पर मनन किया तो पाया कि पाया कि दिनांक 14.04.2017 से राजस्थान सरकार द्वारा लम्बे समय से पात्रहीन व्यक्तियों को आवादी भूमि के पट्टे देने के लिए अभियान में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के अधिन दिनांक 08.01.2018 को कब्जा का नियमन कर पट्टा जारी किया गया। निगरानीकर्ता को यदि गैरनिगरानीकर्ता के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर कोई आपत्ति थी तो पंचायत के प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध आदेश से 30 दिन के भीतर-भीतर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 61 के तहत सम्बन्धित पंचायत समिति को अपील कर सकता था जो निगरानीकर्तागण द्वारा नहीं की गई। अतः निगरानीकर्ता द्वारा उठाये गये विन्दू पोषणीय नहीं है। ग्राम पंचायत की प्रक्रिया में विधिक दृष्टि में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। ऐसे में ग्राम पंचायत लालगढजाटान के पट्टा संख्या 21 दिनांक 08.01.2018 के विरुद्ध पेश उक्त निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत लालगढजाटान को भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डा. हरीतिमा)
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर